समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 21-03-2016 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

(2) अनुपस्थित पदाधिकारी

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र0	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1.	डी0पी0एम0, जीविका, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
2.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा	बैठक में भाग लेने हेतु पटना गये।
3.	जिला कल्याण /अल्पसंख्यक कल्याण पदा0, मधेपुरा	अवकाश में।
4.	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा	अन्य कार्य में प्रतिनियुक्त।
5.	सहायक नियंत्रक, माप-तौल, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
6.	जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा	अवकाश में।
7.	कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम, सहरसा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
8.	जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
9.	आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा	अवकाश में।
10.	जिला खाद्य निरीक्षक, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
11.	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
12.	औषधि निरीक्षक, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0, जिला गोपनीय शाखा)

➢ सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय बैठक हेतु निम्नांकित विभागों की समीक्षा विभागवार की गयी :-

क्र0	संबंधित विभाग /पदा0 का नाम	इस सप्ताह में किए जाने वाले कार्य
1.	सर्वशिक्षा	समीक्षा के क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा से नियोजित शिक्षकों के वेतन हेतु आवंटन के बारे में पृच्छा की गयी एवं आवंटन हेतु अधियाचना हेतु निदेशित किया गया कि वित्तीय वर्ष में विभाग से कितना पुस्तक उपलब्ध कराया गया तथा वितरण की स्थिति क्या है एवं निदेशित किया गया कि विस्तृत सूची उपलब्ध करावें।

2.	(विडियो कॉन्फ्रेंस) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा	जिलाधिकारी द्वारा विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी के साथ सोमवारीय बैठक की शुरूआत की, किन्तु मात्र 06 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी यथा- पुरैनी, कुमारखण्ड, सिंहेश्वर, घैलाढ़, ग्म्हरिया एवं ग्वालपाड़ा ही विडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हो पाये, जबकि शेष अन्य प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अनुपस्थित पाये गये। सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि प्रत्येक सोमवारीय बैठक के पूर्व विडियो कॉन्फ्रेंस के 15 मिनट पूर्व अर्थात 09:45 बजे पूर्वा0 में अपने-अपने प्रखण्ड मुख्यालय से जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सोमवारीय बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। एन0पी0आर0 की समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घैलाढ़ से पृच्छा की गयी, किन्तु वे अनुपस्थित पायी गयी। प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय को निदेशित किया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घैलाढ़ का दिनांक 21-03-2016 का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने संबंधी पत्र निर्गत करें। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 80 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है, जबकि 100 प्रतिशत कार्य दिनांक 31-03-2016 तक करने का निदेश दिया। अभियान बसेरा की समीक्षा सभी अंचलाधिकारियों से विडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से की गयी। घैलाढ़ द्वारा बताया गया कि अभियान बसेरा का 11 मामला लंबित है। निदेश दिया गया कि तीन दिनों के अंदर निष्पादन करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर से पेंशन वितरण, पंचायत चुनाव, एन0आर0, आदि की समीक्षा की गयी। बताया गया कि पेंशन लाभुकों की सूची बैंकवार तैयार कर सी0डी0 भेजना है। पंचायत चुनाव के निमित्त छंटनी के पूर्व गहनतापूर्वक छानबीन कर लें, किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। साथ ही इंदिरा आवास के द्वितीय किश्त की विमुक्ति, कोशी पुनर्वास आदि की समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया कि कोशी पुनर्वास योजना दिनांक 31-03-2016 को बंद हो रहा है, फलस्वरूप निर्धारित तिथि के पूर्व कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही 13वित्त योजना के संबंध में निदेशित किया गया कि शत-प्रतिशत व्यय नियमानुसार सुनिश्चित करें एवं प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। कन्या विवाह योजना के संबंध में निदेश दिया गया कि पात्र लाभुकों की सूची अविलम्ब जिला आई0सी0डी0एस0 कार्यालय को उपलब्ध करावें, ताकि आवंटन भेजा जा सके। समीक्षा के क्रम में बिहारीगंज प्रखण्ड में पाया गया कि इंदिरा आवास का 08 खाता संधारित है, जिसे तत्काल सभी खाता को मर्ज कर एक ही खाता संधारित करने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज को दिया गया। ग्म्हरिया प्रखण्ड की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्म्हरिया अवकाश में है तथा अंचलाधिकारी अनुमण्डल कार्यालय आये हुए हैं, फलस्वरूप उक्त प्रखण्ड की समीक्षा नहीं की जा सकी। निदेशित किया गया कि आगामी विडियो कॉन्फ्रेंस में वांछित प्रतिवेदन के साथ ससमय

		उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि जिन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का विडियो कॉन्फ्रेंस चालू नहीं होगा, उन्हें जिला मुख्यालय में आना होगा, अतएव सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अपने-अपने प्रखण्ड का विडियो कॉन्फ्रेंस को चालू कराते हुए ससमय उपस्थित रहेंगे।
3.	विधि (प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा)	प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा को निदेशित किया गया कि चौसा अन्तर्गत पर्चा वितरण संबंधी एम0जे0सी0 का मामला 1991 का है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आदेश भी पारित किया गया है तथा दिनांक 04-04-2016 को प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना है। अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में आज ही नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जाए।
4.	ऑपरेशन दखल देहानी (अपर समाहर्त्ता)	(क) ऑपरेशन दखल देहानी - समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ऑपरेशन दखल देहानी पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 31-03-2016 तक राजस्व की वसूली शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाना है। अपर समाहर्त्ता से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि क्राईम मिटिंग से कोई प्रस्ताव नहीं आया है, जबकि गृह स्थल के लिए भी कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा गया है। समीक्षा के क्रम में सम्पर्क सड़क योजना का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया एवं अपर समाहर्त्ता से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
5.	आपदा (प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा)	समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन को निदेशित किया गया कि मुरलीगंज अंचल में कृषि अनुदान वितरण की जांच करें एवं संबंधित बैंक खाता की भी जांच की जाए कि आपदा की राशि कितनी बची हुई है। यह भी निदेशित किया गया कि सभी अंचलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर पता लगावें कि उक्त मद की राशि किस-किस अंचल में बची हुई है। **बाढ़ की तैयारी** - उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि बाढ़ की तैयारी हेतु हेतु समीक्षा बैठक आयोजित कराने हेतु अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
6.	(ग्रामीण विकास अभिकरण) उप विकास आयुक्त	स्वच्छ भारत अभियान :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आज नगर परिषद्, मधेपुरा के सभी वार्ड आयुक्त के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गयी है, जिसमें स्वच्छ भारत अभियान की विस्तृत सूची की आवश्यकता है, फलस्वरुप उप विकास आयुक्त से अनुरोध किया गया कि वांछित प्रतिवेदन तैयार कर आज ही उपलब्ध करावें, ताकि सभी वार्ड आयुक्त को उपलब्ध कराया जा सके।

7.	पी0एच0ई0डी0 (कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा)	स्वच्छ भारत अभियान की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि खुले में शौच से मुक्ति कार्यक्रम के तहत शौचालय निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ है। इस माह के अंत तक लगभग 8000 शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा। बताया गया कि इस मद में अभी 2.5 करोड़ राशि बची हुई है। निदेशित किया गया कि अभियान चलाकर नियमानुसार निर्माण कार्य तुरंत करावें।
8.	एस0ई0सी0सी0	समीक्षा के क्रम में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि एस0ई0सी0सी0 का डाटा जो विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, वह डाटा सही नहीं है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा के अनुपस्थित रहने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि विभाग से सम्पर्क स्थापित कर सही डाटा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाए।
9.	(डी0पी0ओ0, आई0सी0डी0 एस0)	**<u>कन्या विवाह योजना</u>** :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कन्या विवाह योजना के बिल पर कोषागार, मधेपुरा द्वारा रोक लगा दिया गया है। समीक्षा के क्रम में कोषागार पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि महालेखाकार कार्यालय में जमा किए गए ए0सी0 विपत्र /डी0सी0 विपत्र का पावती रसीद कोषागार कार्यालय, मधेपुरा में उपलब्ध कराने के उपरान्त ही उक्त मद में नियमानुसार विपत्र पारित किया जाए। जिला प्रोग्राम पदा0 को निदेशित किया गया कि अविलम्ब इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदा0, आई0सी0डी0एस0 को निदेश दिया गया कि जिले में कार्यरत सभी सेविका /सहायिका /महिला पर्यवेक्षकों का बैंक खाता एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित सूची तैयार कर अविलम्ब विभाग को भेजे, ताकि दिनांक 01-04-2016 से राशि संबंधित सेविका /सहायिका /महिला पर्यवेक्षिका के खाता में नियमानुसार भेजा जा सके। यह भी निदेशित किया गया कि 31 जनवरी, 2016 तक चयनित मेधा सूची के अनुसार चयन की कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित करें।
10.	खेल-कूद	समीक्षा के क्रम में जिला खेल-कूद पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि खेल-कूद संबंधी मार्गदर्शिका विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, फलस्वरूप उसी के अनुरूप कार्य सुनिश्चित करावें। इसी प्रकार ऑडोटोरियम के लिए जमीन हेतु अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि विभिन्न प्रखण्ड अन्तर्गत बनने वाले स्टेडियम की सूची अविलम्ब उपलब्ध करावें, ताकि आवंटन हेतु विभाग को भेजा जा सके एवं स्टेडियम की सूची की एक प्रति कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को उपलब्ध करावें।
11.	कल्याण (जिला कल्याण पदा0)	जिला कल्याण पदा0 के अनुपस्थित रहने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी।

12.	शिक्षा (जिला शिक्षा पदा0)	जिला शिक्षा पदाधिकारी से पृच्छा की गयी कि एकाउन्ट ऑपनिंग हुआ कि नहीं, छात्रवृति वितरण की क्या स्थिति है एवं क्वालिटी एजुकेशन के संबंध में क्या-क्या कार्रवाई की जा रही है। निदेशित किया गया कि इस संबंध में अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। बताया गया कि उदाकिशुनगंज में बुनियादी विद्यालय हेतु जमीन उपलब्ध हो गया है, जबकि मधेपुरा में जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, अनुजाति /जनजाति अत्याचार निवारण एवं निःशक्तता विवाह योजना में राशि की अधियाचना हेतु विभाग से पत्राचार करने का निदेश जिला शिक्षा पदा0 /जिला कल्याण पदा0, मधेपुरा को दिया गया। साथ ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिनांक 29-03-2016 तक हरहाल में भेजने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि विद्यालय में निर्मित शौचालय में ताला लगाकर शिक्षकों द्वारा रखा जा रहा है एवं छात्र /छात्राओं को इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि किसी शिक्षकों द्वारा शौचालयों को ताला लगाकर नहीं रखे, इसे हरहाल में सुनिश्चित करावें। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 18 जनवरी, 2016 से छात्रवृति वितरण का भुगतान किया जाना था, अतएव कितनी राशि की आवश्यकता है एवं कितने छात्र /छात्रायें है, उनकी विस्तृत सूची तैयार कर आवंटन हेतु विभाग से पत्राचार किया जाए। यह भी निदेश दिया गया कि परीक्षा के दौरान विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर चलाये गये जेनरेटर आदि पर हुए व्यय का अधियाचना तैयार कर उप विकास आयुक्त, मधेपुरा के माध्यम से अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करें। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिलान्तर्गत संचालित कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की स्थिति संतोषजनक नहीं है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि विभिन्न विद्यालयों की जांच हेतु एक आदेश निर्गत करें, जिसमें महिला दण्डाधिकारी यथा- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा महिला हेल्पलाईन की प्रबंधक की प्रतिनियुक्ति किया जाए।
13.	पंचायत (जिला पंचायत राज पदाधिकारी)	जिलाधिकारी द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि पंचायत चुनाव के निमित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आवंटन के अतिरिक्त आवंटन हेतु अधियाचना अविलम्ब विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ एक तिथि निर्धारित कर समीक्षा बैठक अपने स्तर से करें एवं सभी समस्याओं का निदान कराना सुनिश्चित करें।

14.	स्वास्थ्य (सिविल सर्जन)	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिलान्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में किए जा रहे ऑपरेशन की जांच हेतु मानवाधिकार आयोग के स्तर निदेशित किया गया है, अतएव सिविल सर्जन को निदेशित किया गया कि कितना ऑपरेशन हुआ है, उनकी विस्तृत जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। साथ ही कालाजार का नियमित अनुश्रवण करने का निदेश सिविल सर्जन, मधेपुरा को दिया गया एवं मरीज का भुगतान लंबित नहीं रहे, इसे हरहाल में सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिया गया कि स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत जितने भी बहाली हेतु रोस्टर लंबित है, उसका रोस्टर तैयार कर अनुमोदन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अविलम्ब उपस्थापित करें, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में दवाओं की क्या स्थिति है, तो सिविल सर्जन द्वारा बताया गया कि आउटडोर एवं इनडोर में दवा आ गया है एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी आवश्यक दवायें उपलब्ध करा दी गयी है। निदेश दिया गया कि प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना आम जनों में प्रसारित करावें कि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में सभी आवश्यक दवायें उपलब्ध है।
15.	डूडा (जिला योजना पदा0 /कार्यपालक अभि0, डूडा)	जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र अविलम्ब विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संचिका भेज दी गयी है। निदेशित किया गया कि अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
16.	माप-तौल (सहायक नियंत्रक, माप-तौल)	माप-तौल निरीक्षक के अनुपस्थित रहने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। निदेशित किया गया कि आगामी बैठक में वांछित प्रतिवेदन के साथ ससमय उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
17.	परिवहन (जिला परिवहन पदा0)	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया कि मधेपुरा जिलान्तर्गत राजस्व की वसूली शत-प्रतिशत नहीं हुई है, जो खेद का विषय है, जबकि वित्तीय वर्ष 2015-16 में भी वसूली की स्थिति संतोषजनक नहीं है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा पृच्छा की गयी कि ऑटो चालक संघ /बस मालिकों द्वारा दर निर्धारित कर विवरणी उपलब्ध कराया गया है अथवा नहीं, तो इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि दर तालिका उपलब्ध नहीं करायी गयी है। निदेश दिया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज से विभिन्न स्थलों का किराया निर्धारण करवाकर विवरणी प्राप्त करें एवं उसी को सही मानकर सभी संबंधितों को उपलब्ध करा दें तथा उसी के अनुरूप दर निर्धारित कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन आगामी बैठक के पूर्व उपलब्ध करावें। यह भी निदेश दिया गया कि वाहनों की चेकिंग नियमित करावें एवं

		नोटिस निर्गत कर राशि नियमानुसार वसूली की जाए। यदि अन्य जिला का मामला आता है, तो संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को राशि वसूलने हेतु अनुरोध पत्र भेजे। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि वाहनों का ओभर लोडिंग कर चलाया जा रहा है, जबकि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस पर खेद प्रकट किया गया। निदेश दिया गया कि वाहनों की जांच करें एवं नियमानुसार जुर्माना वसूली करें।
18.	विकास (प्रभारी पदा0, विकास)	समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, विकास द्वारा बताया गया कि सांसद योजना मद अन्तर्गत लोकसभा सांसद मद का अधियाचना भेज दिया गया है एवं राज्य सभा मद हेतु भी अधियाचना भेज दी गयी है। निदेशित किया गया कि उसकी प्रतिलिपि सांसद महोदय के आप्त सचिव को भी भेजी जाए। कब्रिस्तान घेराबंदी के संबंध में जिला योजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुछ जगह से ही सूची आया है। निदेशित किया गया कि इस संबंध में अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अपर समाहर्त्ता से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से भी कार्रवाई की जाए।
19.	(जीविका) डी0पी0एम0, जीविका, मधेपुरा	जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका के अनुपस्थित रहने के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। स्पष्टीकरण पूछने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही डी0पी0एम0 जीविका को निदेशित किया गया कि आगामी बैठक में ससमय वांछित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।
20.	(सामाजिक सुरक्षा) सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा पेंशन मद में आवंटन उपलब्ध कराया गया है, जबकि शेष आवंटन की आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि आज ही उक्त मद हेतु अधियाचना तैयार कर विभाग को भेंजे। यह भी निदेश दिया गया कि ट्राईसाकिल के क्रय हेतु राशि की अधियाचना विभाग को अविलम्ब भेंजे। समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज द्वारा बताया गया कि पेंशन की राशि अभी तक संबंधित खाता में नहीं गया है, जबकि वितरण ससमय कराया जाना है। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग को निदेशित किया गया कि अविलम्ब इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। कोशी पुनर्वास, 13वीं वित्त योजना, चतुर्थ योजना, इंदिरा आवास योजना का खाता आदि की समीक्षा के क्रम में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज को निदेश दिया गया कि इंदिरा आवास योजना का आठ खाता जो खुला हुआ है, उसे एक ही खाता में समायोजित करें एवं एक ही खाता का संचालन करें। इसी प्रकार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर से पेंशन संबंधी मामलों की समीक्षा की गयी एवं निदेश दिया गया कि जिस लाभुकों का पेंशन का खाता नहीं खुला हुआ है, उसे राशि का भुगतान किसी भी हालत में नहीं करेंगे।

21.	महिला हेल्पलाईन (परियोजना प्रबंधक, महिला हेल्पलाईन)	समीक्षा के क्रम में महिला हेल्पलाईन की खोज की गयी, किन्तु वे अनुपस्थित पायी गयी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 से महिला हेल्पलाईन के भुगतान की समीक्षा की गयी, तो उनके द्वारा बताया गया कि भुगतान हो गया है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि महिला हेल्पलाईन एवं अल्पावास गृह की जांच नियमित करें। अल्पावास गृह में रहने वाली महिलाओं को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसे सुनिश्चित करें। साथ ही अल्पावास गृह में सी0सी0टी0भी0 कैमरा नियमानुसार अविलम्ब लगावें।
22.	(मध्याह्न भोजन योजना), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा	जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि वसूली हो रही है अथवा नहीं, तो इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदा0 द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सका। निदेशित किया गया कि इस संबंध में नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
23.	(विद्युत) कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा	कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा की अनुपस्थिति के कारण इसकी समीक्षा नहीं की जा सकी। सहायक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि विद्युत की स्थिति वर्तमान में सही है एवं विपत्र का वितरण ससमय हो रहा है, विद्युत विच्छेदन भी किया गया है एवं छापामारी भी नियमित हो रही है। उन्हें जिलान्तर्गत विभिन्न राईस मिल की सूची उपलब्ध करायी गयी एवं निदेशित किया गया कि सभी राईस मिलों की जांच करें एवं नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। जिला योजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एम0पी0लैड्स एवं सी0एम0लैड्स योजनान्तर्गत उपलब्ध कराये गये ट्रांसफार्मर का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यपालक अभियंता, विद्युत द्वारा अभी तक समर्पित नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
24.	(भवन) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहार लोक शिकायत निवारण के तहत् तीन जगह केन्द्र बनाया जाना है, तत्काल उक्त केन्द्र को दिनांक 15-04-2016 से क्रियाशील किया जाना है। समीक्षा के क्रम में जिला में नगर परिषद् के पुराना भवन, मधेपुरा अनुमण्डल में अनुमण्डल कार्यालय, मधेपुरा के पुराना भवन एवं उदाकिशुनगंज अनुमण्डल में मल्टीपरपस भवन में उक्त केन्द्र को अधिष्ठापित करने का निर्णय लिया गया। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया गया कि आई0टी0 मैनेजर से सम्पर्क स्थापित कर इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसी प्रकार पॉलटेकनिक भवन, नया प्रखण्ड कार्यालय भवन हेतु, राजस्व कचहरी के निर्माण की समीक्षा की गयी। यह भी निदेश दिया गया कि जिस प्रकार जिला अतिथि गृह के बरामदे पर ग्रिल लगाया गया है, उसी प्रकार समाहरणालय भवन के भूतल के बरामदे पर ग्रिल नियमानुसार लगावें। समीक्षा के क्रम में कर्मचारी क्वार्टर, पदाधिकारी क्वार्टर की मरम्मति हेतु निदेशित किया गया। यह भी निदेश दिया गया कि विभाग द्वारा विशेष मरम्मति मद में 70 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत की राशि उपलब्ध करायी जाती है, फलस्वरुप विभागीय निदेश के आलोक में कर्मचारी एवं पदाधिकारियों का सरकारी क्वार्टर की मरम्मति सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिया गया कि टाउन हॉल की

		मरम्मति नियमानुसार सुनिश्चित करावें। यह भी निदेश दिया गया कि विशेष मरम्मति में राशि की अधियाचना हेतु विभाग को अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से पत्राचार किया जाए। समीक्षा के क्रम में अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उत्पाद कार्यालय, मधेपुरा में वायरिंग का कार्य शेष बचा हुआ है। कार्यपालक अभियंता, भवन को निदेश दिया गया कि अविलम्ब वायरिंग का कार्य सुनिश्चित करावें।
25.	नगर परिषद्	जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जल परिषद् द्वारा नगर परिषद् में पाईप की आपूर्ति कर दी गयी है। उप विकास आयुक्त से अनुरोध किया गया कि संबंधित पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाए।
26.	(एन0एच0) कार्यपालक अभियंता, एन0एच0, मधेपुरा	बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता, एन0एच0 द्वारा बताया गया कि कार्यपालक अभियंता निविदा संबंधी सभी कागजात लेकर पटना गये हुए। स्वीकृति होने के पश्चात् अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। निदेश दिया गया कि जब तक निविदा की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक संबंधित सड़क का पोर्ट नियमानुसार भरवाना सुनिश्चित करें।
27.	(ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा) कार्यपालक अभियंता, एन0एच0, मधेपुरा	जिलाधिकारी द्वारा दोनों कार्यपालक अभियंता से एम0एम0जी0एस0वाई एवं पी0एम0जी0एस0वाई सड़क की समीक्षा की गयी एवं निदेश दिया गया कि जो भी सड़क निर्माणाधीन है, उसे अविलम्ब पूर्ण करावें। साथ ही अतिरिक्त राशि हेतु अधियाचना पत्र विभाग को भेंजे। समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड कार्यालय, ग्वालपाड़ा के बगल से जानी वाली सड़क में लोहा सिंह के घर के आस-पास सड़क निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही है। अंचलाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जांच कर अविलम्ब कार्रवाई करें एवं अनुपालन से एक सप्ताह के अंदर अवगत करावें।
28.	अन्यान्य	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि ग्वालपाड़ा प्रखण्ड के झंझरी पंचायत में पंचायत सरकार भवन के निर्माण में जमीन संबंधी समस्या है, जिसके कारण कार्य कराने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अपर समाहर्त्ता से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में अग्ररत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। जिला गव्य विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि 176 सही लाभुकों को नियमानुसार अनुदान वितरण कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करावें। **<u>सर्वशिक्षा अभियान</u>** :- जिलाधिकारी द्वारा नियोजित शिक्षकों के मानदेय भुगतान के बारे में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा से पृच्छा की गयी। जिला कार्यक्रम पदा0, सर्वशिक्षा द्वारा बताया गया कि नवम्बर, 2015 तक वेतन का भुगतान कर दिया गया है। दिसम्बर, 2015 से फरवरी, 2016 तक वेतन हेतु आवंटन नहीं प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी

		द्वारा आवंटन हेतु विभाग से अधियाचना कर आवंटन प्राप्त कराने का निदेश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा को दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान से पृच्छा की गयी कि वेतन मद की राशि शिक्षको के खाते में गया या नहीं, सत्यापन कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदा0, मध्याह्न भोजन से आवंटित 170 रसोई घर निर्माण के बारे में पृच्छा की गयी। साथ ही विद्यालयों में मध्याह्न भोजन हेतु एन0जी0ओ0 के बारे में पृच्छा की गयी। जिला कार्यक्रम पदा0, मध्याह्न भोजन द्वारा बताया गया कि केवल मधेपुरा के शहरी क्षेत्र में एन0जी0ओ0 द्वारा मध्याह्न भोजन चलाया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा में राशि के समायोजन के बारे में पृच्छा की गयी एवं 29 मार्च तक 02 करोड़ राशि का समायोजन करवाने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा से पाठ्य-पुस्तक के प्राप्ति एवं वितरण के बारे में पृच्छा की गयी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा द्वारा 5,00,911 पाठ्य-पुस्तक में से 2,71,971 पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध नहीं कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदा0, सर्वशिक्षा को पाठ्य-पुस्तक प्राप्ति हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अनुरोध पत्र भेजवाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-सभी संबंधित पदाधिकारी)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Ram 21/3/16 आशुलिपिक Khalid 21/3/16 जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	21/3/16 प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	21/3/16 जिलाधिकारी मधेपुरा।

ज्ञापांक 741 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 21.3.16

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा/ जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /डी0पी0एम0, जीविका, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /डी0आई0ओ0, मधेपुरा /सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /कार्यक्रम पदाधिकारी, एम0डी0एम0, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत

प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, एन0एच0 प्रमण्डल, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /नगर पंचायत, मुरलीगंज /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर एवं लघु जल संसाधन, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पुल निर्माण निगम, मधेपुरा /सहरसा /जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ram 21/3/16
आशुलिपिक
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।

जिलाधिकारी
मधेपुरा। 21/3/16

Khalid 21/3/16